

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आमिलेख वाद संख्या - 49/2020-21(II)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
03/09/2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्यवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एंव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमावंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमावंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा- साधोना८, थाना नं- ५७ खाता संख्या- ६९ प्लॉट संख्या- ५१८, रकबा- २८५९० एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमावंदी पर उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- १ के पृष्ठ संख्या- १२८ पर जमावंदी रैयत मन्तु मांडनी पिता जोन्दा मांडनी के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमावंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमावंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमावंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमावंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पूछा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>आमिलेख दिनांक- 19/09/2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">03/09/2020 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जॉच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :— ~~करुणा मांझी~~ माचु माला ५० जोल्हा मांझी १.८० १

2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :—

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
साथाणाड	५७	६९	४१५	०.२५५७०

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या । पृष्ठ सं०— १२८ पर कायम है—

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है— १९६४-६५

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :— जर आणाड

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :— भवर ५/७८

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :—

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण /अवैध भूबन्दोवस्ती) — भवर दखला क्षेत्र १० १५० (१) १९६४-६५ के गुलामिं
लगान वर्ष ६४ (१)

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जॉच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा
दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) ८४ (१)
भवर ५/७८

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष —

क्रम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
१	—	१९८६-८७	१९८६-८७ ते
२	३२६०६।	२८/२/१९८१	१९८०-८१ तक

उपरोक्त अंकित रसीद संख्या के अनुसार जर आणाड खाते की गूमिंह ५१ संखाति पे जो
मैं घगाकडी ५० १२८ दर्प है वाणिंगाड कोल्हा मे भवर ५/७८ क्षेत्र १५० (१)
१९६४-६५ अंकित ५० उत घगाकडी संदेहास्पद भवित होता है
को ५१ लकड़ी ५५ भवर ५/७८ क्षेत्र १५० (१) अंकित ५१ लकड़ी ५५ भवर ५/७८ क्षेत्र १५० (१)

माला